

कम नामांकन वाले वदियालयों का वलिय

प्रलिमिस के लयि

साथ-ई परयोजना, शकिषा का अधकिार

मेन्स के लयि

शकिषा क्षेत्र में सुधार

चर्चा में क्यों?

ऐसे समय में जब COVID-19 महामारी के बीच वदियालयों को पुनः खोलने का वचिर कयिा जा रहा है, ओडशिा सरकार ने कम नामांकन वाले 8000 वदियालयों के वलिय को पूरा करने के लयि 15 ज़िलों को नोटसि जारी कयिा है।

प्रमुख बडिु:

- ऐसे वदियालय जनिमें कम नामांकन होता है उन्हें पास के एक बडे वदियालयों में वलिय कर दयिा जाता है जनिहें 'लीड स्कूल' (Lead schools) कहा जाता है।
- वदियालयों के वलिय की यह प्रक्रयिा ओडशिा सरकार के 'स्कूल एंड मास एजुकेशन डपार्टमेंट' (Department of School and Mass Education) द्वारा मार्च में जारी एक नोटसि का अनुवर्ती स्वरूप है। जो महामारी व लॉकडाउन के कारण ठप हो गई थी।
 - मार्च 2020 में राज्य सरकार ने कम नामांकन वाले 11517 वदियालयों के वलिय की पहल की थी। इन वदियालयों में 6350 प्राथमकि, उच्च प्राथमकि एवं उच्च वदियालय शामिल थे जनिमें 20 से कम छात्रों का नामांकन हुआ था जबकि 5177 वदियालय ऐसे हैं, जनिमें 40 से कम छात्र हैं।
- हालयिा नोटसि हालाँकि केवल उन वदियालयों के वलिय में तेज़ी लाने का नरिदेश देता है जनिमें 20 से कम छात्रों का नामांकन हुआ है।
- पहले से सूचीबद्ध 6350 वदियालयों के अलावा ओडशिा सरकार के 'स्कूल एंड मास एजुकेशन डपार्टमेंट' ने वलिय के लयि 20 से कम छात्रों वाले 2000 और वदियालयों की पहचान की है।

'सस्टनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन' प्रोजेक्ट

[Sustainable Action for Transforming Human Capital in Education (SATH-E) Project]:

- वदियालयों का यह वलिय नीतिआयोग (NITI Aayog) के 'सस्टनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन प्रोजेक्ट' [(SATH-E) Project] के तहत कयिा जा रहा है और इसे वदियालयों के समेकन एवं युक्तकिरण की संज्ञा दी गई है।

साथ-ई परयोजना [(SATH-E) Project]:

- वर्ष 2017 में ओडशिा उन तीन राज्यों (अन्य दो राज्य झारखंड व मध्य प्रदेश) में से एक था जनिहें साथ-ई (SATH-E) परयोजना के तहत अपने स्वास्थ्य एवं शकिषा क्षेत्रों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करने के लयि नीतिआयोग (NITI Aayog) द्वारा चुना गया था।
- इसका उद्देश्य प्राथमकि एवं माध्यमकि वदियालय शकिषा को लक्ष्य-संचालति अभ्यास के माध्यम से बदलना और शकिषा के लयि रोल मॉडल राज्य बनाना है।
- इस पहल का समापन वर्ष 2020 के शैक्षणिक वर्ष के अंत में होगा।
- वदियालयों का वलिय साथ-ई (SATH-E) परयोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लयि कयि गए उपायों में से एक है क्योंकि इस प्रक्रयिा में शकिषकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और खेलने के उपकरण जैसे समेकति संसाधनों की सहायता के लयि अधिकृत कयिा जाता है।

वलिय के बाद:

- 'स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट' के अनुसार, जो छात्र दूर से वदियालय की यात्रा करेंगे उन्हें 20 रुपए दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा और वदियालय बंद होने से प्रभावति प्रत्येक छात्र को लीड स्कूल में प्रवेश पर 3000 रुपए का एकमुश्त सुवधि भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- यदि 'लीड स्कूल' से दूरी 1 कमी. से अधिक है तो छात्रों को **शिक्षा के अधिकार** (Right To Education- RTE) मानदंडों के अनुसार परविहन भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- बंद होने वाले वदियालयों के सभी हेड मास्टर/शिक्षक/कर्मचारियों (मडि-डे मील के रसोईये सहति) की सेवा शर्तों में बदलाव कयि बना लीड स्कूल भेजा जाएगा।
- वदियालयों के वलिय से संबंधति यदवासतवकि चतिाएँ उत्पन्न होती हैं तो ज़िला कलेक्टरों को वलिय रद्द करने के लयि अधिकृत किया गया है।
- इस तरह के वदियालय बंद होने के बाद वदियालय से संबंधति भवन एवं अन्य बुनयिदी ढाँचे को पंचायती राज एवं पेयजल वभिग को सौंप दिया जाएगा।

वदियालयों के वलिय से लाभ:

- वदियालयों का समेकन छात्रों के लयि वदियालयों को आकांक्षी (Aspirational) बना देगा, इसके परणामस्वरूप **छात्र-शिक्षक अनुपात** (Pupil-Teacher Ratio) में सुधार होगा।
- बेहतर बुनयिदी ढाँचा सुवधिाएँ, अतरिकित TLM (Teaching Learning Materials) सुवधिाएँ, ई-लर्नगि एवं सह-पाठयक्रम सुवधिाओं के साथ बेहतर शैक्षणिकि वातावरण का वकिस होगा।
- इससे शिक्षकों पर प्रशासनिक बोझ में कमी के कारण शिक्षकों एवं छात्रों के लयि उपलब्ध शिक्षण एवं सीखने के समय में भी सुधार होगा।

सरकार के नरिणय का वरिोध:

- राज्य भर में माता-पति एवं कार्यकर्त्ताओं ने सरकार के इस कदम का वरिोध कयिा है।
- **कार्यकर्त्ताओं का तरक:** कार्यकर्त्ताओं ने तरक दिया है कि वदियालयों को बंद करना या वलिय करना **RTE अधनियिम की धारा 3 व 8** का उल्लंघन है।
 - कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि चुने गए वदियालयों में से अधकिांश वदियालय पहाड़ी इलाकों के आदवासी कषेत्रों से संबंधति हैं। एक गाँव में वदियालयों को बंद करने से ड्रॉपआउट दर में वृद्धि होगी क्यौंकि छात्रों को वदियालय जाने के लयि दूर की यात्रा करना संभव नहीं होगा। वदियालयों को बंद करने से पहले भौगोलिक बाधाओं पर भी वधिार कयिा जाना चाहयि।
 - **उदाहरण:** देवगढ़ ज़िले के पुडापाड़ा (Pudapada) गाँव के एकमात्र प्राथमकि वदियालय को दूसरे वदियालय में वलिय करने का नरिणय लयिा गया।
- **माता-पति का तरक:** माता-पति का कहना है कि हममें से अधकिांश अपने बच्चों को दादा-दादी के पास छोड़कर काम के लयि चले जाते हैं। गाँव में एक वदियालय होने से यह सुनिश्चिति होता है कि बच्चे नियमति रूप से कक्षाओं में भाग लेंगे। यदि वदियालय दूर होगा तो छात्रों के लयि स्वयं यात्रा करना संभव नहीं होगा।
 - माता-पति इस बात से भी चतििति हैं कि अगर उनके बच्चे वदियालय नहीं जाते हैं तो बच्चों को मडि-डे मील से भी वंचति कर दिया जाएगा।

ओडशिा में शिक्षा की स्थति:

- वदियालयों को समेकति करने का नरिणय ऐसे समय में लयिा गया है जब ओडशिा के वदियालयों में छात्रों के नामांकन में गरिवट जारी है जहाँ करोड़ों रुपए मडि-डे मील, मुफ्त ड्रेस और मुफ्त पाठयपुस्तकों के तहत सरकारी वदियालयों में प्रवेश हेतु बच्चों को प्रेरति करने के लयि खर्च कयिा जाते हैं। वहीं नजिी वदियालयों में नामांकन बढ़ रहा है।
- सरकारी वदियालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के खाली पड़े पदों ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावति कयिा है।
- पछिले महीने ओडशिा के वदियालय एवं जन शिक्षा मंत्री ने वधिानसभा को बताया कि राज्य के 46,332 प्राथमकि एवं उच्च प्राथमकि वदियालयों में से 18589 में हेडमास्टर नहीं हैं। 8076 हाई स्कूलों में 11588 सहायक शिक्षकों के पद रक्ति हैं।
- '**नेशनल काउंसलि ऑफ एजुकेशन रसिर्च एंड ट्रेनगि**' (NCERT) द्वारा वर्ष 2018 में कयिा गए 'नेशनल अचीवमेंट सर्वे' (NAS) में देखा गया कि ओडशिा में केवल 53% छात्र ही बुनयिदी दक्षताओं के आधार पर प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए।
- इसी तरह ग्रामीण संदर्भ में **असर** (ASER), 2018 की रिपोर्ट में खुलासा कयिा गया कि कक्षा 5 के केवल 33.1% छात्र 10 व 99 के बीच अंकगतीय संख्या पहचान सकते हैं जबकि सरिफ 24.5% छात्र संख्या को घटाना जानते हैं।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस